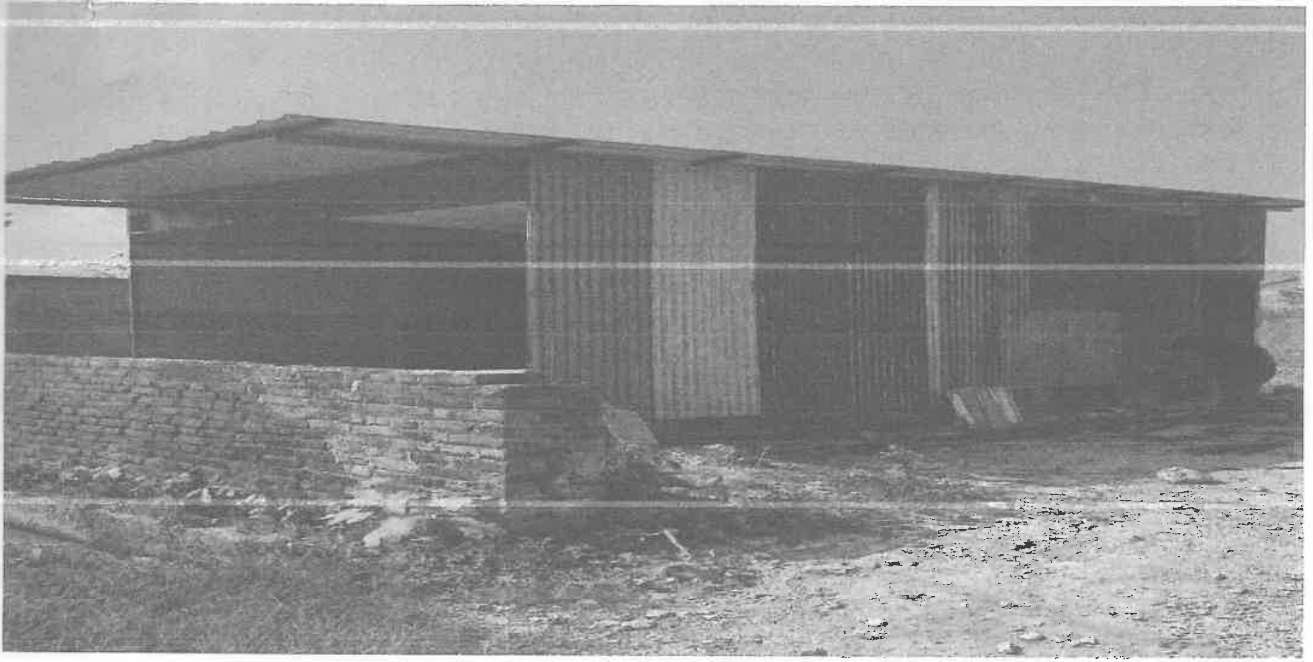




**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।
अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश**

पत्रांक : 171 वाद संख्या सी-830 सैक्टर-1/2024

दिनांक: 19/04/2025

श्री इकराम,
मुस्कान वाली गली, माजरा,
देहरादून।

आपके द्वारा उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल पर लगभग 12 गुणा 15 फिट के क्षेत्र में 01 दुकान का निर्माण करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0830/एस-1/2024 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 11.12.2024 नियत की गयी। नियत दिनांक 11.12.2024 को आप उपस्थित हुए और मानचित्र बनाने के लिए समय मांगा गया। इसके उपरान्त मानचित्र बनाने के लिए 08.01.2025, 22.1.2025, 13.2.2025, 5.3.2025, 26.3.2025 तथा 07.04.2025 तक का समय दिया गया। परन्तु आप नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। और न ही शमन मानचित्र जमा कराया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण के सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।



१-२

आदेश

विपक्षी श्री इकराम द्वारा उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल पर लगभग 12 गुणा 15 फिट के क्षेत्र में 01 दुकान का निर्माण करने पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) एवं धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0830/एस-1/2024 योजित किया गया। जिसमें दिनांक 11.12.2024 नियत की गयी। नियत दिनांक 11.12.2024 को विपक्षी उपस्थित हुए और मानचित्र बनाने के लिए समय मांगा गया। इसके उपरान्त विपक्षी को मानचित्र बनाने के लिए 08.01.2025, 22.1.2025, 13.2.2025, 5.3.2025, 26.3.2025 तथा 07.04.2025 तक का समय दिया गया। परन्तु विपक्षी नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। और न ही शमन मानचित्र जमा कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में चालानशुदा निर्माण पर अकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालानशुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.12.25 को सील किया जाना है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।



संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण को सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को ^{उपलब्ध} ~~उपलब्ध~~ कराना सुनिश्चित करें।



संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



आदेश

विपक्षी श्री शादाव, हरिद्वार वाईपास रोड, सीटी जंकशन माल के सामने, निकट आईएसबीटी, देहरादून द्वारा उक्त स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूतल पर लगभग 12 गुणा 50 फिट क्षेत्र में टिन सैड का निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-569/एस-1/2025 योजित किया गया। जिसका कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.08.2025 को विपक्षी द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया। नियत तिथि 25.08.2025 को विपक्षी द्वारा टिन सैड की स्वीकृति के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। विपक्षी को टिन सैड हटाने के लिए दिनांक 01.09.2025 तक का समय दिया गया। परन्तु विपक्षी दिनांक 01.09.2025 को अनुपस्थित रहे और टिन सैड हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में चालान शुदा निर्माण पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10-9-25 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण की सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

